

"डी"

अधीनस्थ उप खंड अधिकारी, बालोहरा (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी रा नरेरा सोनी R.A.S.
अपील सं. 02/2021

अपीलान्त	पुस	उत्तर दातागण
लालाराम पुस समरधारण	1	पुल्लोड वल्ल समरधारण
जाति त्रील निवासी थापन		जाति त्रील नि. थापन
रबडील सिवाना (बाड़मेर)	2.	राजस्थान सरकार जरीजे
		रबडीलदार, पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act. 1956 नामान्तरण सं. 755 डि 19.08.1992 को अपास्त करने

आदेश दिनांक 04.10.2021


अपीलान्त की अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्त स्व. समरधारण का नामान्तरण करके खेत छ.नं. 124/6, छ.नं. 91/2 कुल रफका 46.18 बीघा अपने सरहद मौजा मूंगड़ा में स्थित है, जो स्व. समरधारण का स्वर्गवास के मौजा नामान्तरण सं. 755 डि. 19-8-92 के रबडीलदार, पचपदरा के द्वारा स्वीकृत किया गया। अपीलान्त का नाम बाबू वल्ल समरधारण के आधार पर लालाराम पुस समरधारण पुनर्स्थापित करने का निवेदन किया गया। हमने अपीलान्त व उनके अधिवक्ता को प्रशासन गांवों के लगे अधिसूचना कोई के मूंगड़ा



(नरेरा सोनी)
पीठासीन अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी बदन सहायक कलकल
बालोहरा, प्रशासन गांवों के संग अधिसूचना 2021
केंद्र धन पंचवटा १२

में सुना गया। प्रशासकीय का कार्रवाई करने पर
 यह पाया गया कि ग्राम मूंगड़ा का नामांतरण क्रमांक
 755 दि. 19.08.92 को तहसीलदार, पंचपहरा के
 द्वारा स्वीकृत किया गया, तहसीलदार, पंचपहरा के
 द्वारा जारी आदेश को सुनवाई करने का वैधानिक
 मानवीय न्यायालय जिता कलक्टर, बाइमेर को है,
 जिलादार के द्वारा उच्चतम जमील को सुनने का
 अधिकार इस न्यायालय के नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर जिलादार के
 जमील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।
 आदेश क्रमांक दि. 04-10-2021 को प्रशासन गांवों के
 संग जिलादार को ई वेब मूंगड़ा में मजदूरी का
 में सुनाया गया।


 (सिद्धांत सिंह)
 पीठासीन अधिकारी संपदा अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
 बालोतरा, प्रशासन गांवों के संग अधिवान 2021
 मूंगड़ा पंचपहरा प.स.